भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 4113

(जिसका उत्तर गुरुवार, 21 मार्च, 2013/30 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी

4113. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :.

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपोरेट घराने कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) पर धन व्यय करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के साथ-साथ कंपनी विधेयक अनुसूची-VI, खंड 135 में उपबंधित सीएसआर कार्यकलाप या क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख) : कंपनी अधिनियम, 1956 में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, कंपनी विधेयक, 2012 में खंड 135 के तहत सीएसआर का प्रावधान किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसका किसी वित्त वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, अथवा टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या अधिक है अथवा शुद्ध लाभ पांच करोड़ रुपए या अधिक है, तो वह कंपनी तीन अथवा अधिक निदेशकों, जिनमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा, के साथ बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करेगी जो कारपोरेट सामाजिक दायित्व निभाने के लिए कार्यकलापों की इस प्रकार से सिफारिश करेगी कि वह कंपनी पूर्व तीन वर्षों के अपने औसत लाभ का कम से कम 2% भाग सीएसआर पर खर्च करे। कंपनी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अथवा अपनी वेबसाइट पर इन कार्यकलापों का प्रकटीकरण तथा सीएसआर पर एक औपचारिक नीति बनाना भी अपेक्षित है।

कंपनी विधेयक, 2012 की अनुसूची-VI के अनुसार कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीति में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं:-

(i) अति भुखमरी और गरीबी उन्मूलन;
(ii) शिक्षा का संवर्धन;
(iii) लैंगिक समानता का संवर्धन और महिला सशक्तिकरण;
(iv) बाल मृत्युदर में कमी करना और मातृ स्वास्थ्य में सुधार;
(v) ह्यूमन इम्युनोडिफिसिएन्सी वायरस, अक्वायर्ड हम्यून डिफिसएन्सी सिन्ड्रोम, मलेरिया और अन्य बीमारियों का प्रतिरोध करना;
(vi) पर्यावरणीय अवलंबन का सुनिश्चय करना;
(vii) रोजगार के लिए वृत्तिक कौशलों में वृद्धि;

(viii) सामाजिक कारोबार परियोजनाएं;

(ix) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत के लिए गठित की गई किसी अन्य निधि और कल्याण के लिए निधियों में अभिदाय; और

(x) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं।

*****